प्रकरण क्रमांकः—RCSB/68/2024

न्यायालयः—पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड रतलाम म.प्र.

पीठासीन अधिकारी — आकांक्षा श्रीवास्तव

निर्णय
(आज दिनांक 06.03.2026 को घोषित)

फाईलिंग नं.:— आरसीएसबी / 943 / 2024
सी.एन.आरः— एमपी / 4301006618 / 2024
केस नं.:— आरसीएसबी / 68 / 2024

संस्थापन दिनांकः— 05.08.2024

1. शिवनारायण पिता शंकरलाल शर्मा,
उम्र— 76 वर्ष, व्यवसाय— सेवानिवृत्त,
निवासी— 210, त्रिमुर्ति नगर रतलाम, (म.प्र.)।

1.1 रेखा पुरोहित पति हरिश पुरोहित,
उम्र—58 वर्ष, व्यवसाय— गृहकार्य,
निवासी— पत्रकार कॉलोनी रतलाम, (म.प्र.)।

1.2 दीपेश शर्मा पिता शिवनारायण शर्मा,
उम्र— 55 वर्ष, व्यवसाय— वकालत,
निवासी— त्रिमूर्ति नगर रतलाम, (म.प्र.)।

— वादीगण

बनाम

करीम खां पिता हसन खां,
उम्र— 70 वर्ष, व्यवसाय—व्यापार,
निवासी— 56, टैगोर कॉलोनी रतलाम, (म.प्र.)।

.

— प्रतिवादी

वादी द्वारा श्री नीरज सक्सेना अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिवादी पूर्व से एकपक्षीय।

1. वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादी के विरूद्ध रूपये 43,500/— की वसूली, उक्त राशि पर ब्याज की वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

2. वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की पत्नी कुसुम शर्मा पति शिवनारायण शर्मा निवासी 210, त्रिमूर्ति नगर रतलाम की मृत्यु दिनांक 04.01.2022 को हो गई है तथा वादी उनका विधिक उत्तराधिकारी है तथा प्रतिवादी व वादी एक दूसरे से परिचित होकर दोनों के मध्य आपस में मधुर संबंध रहे है। प्रतिवादी द्वारा अपनेनिजी पारिवारिक कार्यों हेतु रूपयों की आवश्यकता दर्शाकर वादी की पत्नी कुसुम शर्मा से दिनांक 23.11.2021 को रूपये 25,000/— नगद उधार प्राप्त यिे होकर प्रतिवादी के द्वारा उक्त उधार प्राप्त की गई राशि पर अदायगी दिनांक तक 2 रूपये प्रति सेकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज अदा किया जाना भी तय किया था तथा इसी दिनांक को प्रतिवादी ने वादी की पत्नी कुसुम शर्मा के हित में एक प्रामेसरी नोट का भी संपादन भी रूबरू साक्षीगण के समक्ष किया गया है।

3. प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि माह नवंबर 2023 तक अदा किये जाने का विश्वास दिया था, जब नवंबर 2023 समीप आने लगा इस दौरान वादी की पत्नी कुसुम शर्मा की अपनी लेना राशि व उक्त राशि पर अदा किये जाने की ब्याज धन राशि की मांग वादी के समक्ष प्रतिवादी से की जिस पर प्रतिवादी के द्वारा वादी के समक्ष अपनी पारिवारिक परेशानियां दर्शाकर जल्द ही उक्त राशि अदा कर दिये जाने का विश्वास दिलाया प्रतिवादी के और वादी के मध्य मधुर संबंध रहे इस कारण वादी सदैव प्रतिवादी की बातों पर विश्वास करता रहा है किन्तु नवंबर 2023 गुजर जाने के बाद भी प्रतिवादी ने आज तक वादी की पत्नी कुसुम शर्मा की बकाया लेना धनराशि का भुगतान नहीं किया है। वादी को प्रतिवादी से मूलधन राशि 25,000/— तथा उक्त राशि पर देय ब्याज की राशि दिनांक 23.11. 2024 से दिनांक 23.11.2024 तक 2 रूपये प्रति सैकड़ा मासिक की दर से 15,500/— रूपये ब्याज भी बकाया है इस प्रकार कुल रूपये 40,500/— रूपये वादी के प्रतिवादी में उक्त अवधि तक बकाया निकलते है। यह उल्लेखनीय है कि वादी उसकी पत्नी कुसुम शर्मा का पति होकर उनका वैध उत्तराधिकारी होकर उनका विधिक

उत्तराधिकारी भी है।

4. वादी अपनी पत्नी कुसुमलता का विधिक पति वारिस होने के चलते जब प्रतिवादी द्वारा, वादी को राशि अदा नहीं की गई तो विवश होकर वादी ने प्रतिवादी को जर्ये अभिभाषक दिनांक 24.06.2024 को मांग सूचना पत्र प्रेषित किया गया और वर्णित अनुसार ब्याज सहित कुल रूपये 40,500/— की मांग की गई, परंतु सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी प्रतिवादी के द्वारा न तो मूल राशि और न ही कोई ब्याज की राशि वादी को अदा की गई है।

5. वादी का प्रतिवादी की ओर से राशि लेना निकलती है (अ) प्रामेसरी नोट दिनांक 23.11.2021 अनुसार मूल धनराशि रूपये 25,000/— (ब) दिनांक 24.06.2024 से सूचना पत्र में वर्णित दिनांक 23.11.2021 से 23.06.2024 तक के ब्याज की राशि रूपये 15,500/— (स) दिनांक 23.06.2024 से वाद प्रस्तुती दिनांक 23.07.2024 तक 01 माह के ब्याज की राशि रूपये 500/— (द) सूचना पत्र व्यय की राशि रूपये 2500/— कुल बकाया राशि रूपये 43,500/— है। उपरोक्त राशि प्रतिवादी के द्वारा वादी को अदा नहीं की गई है। वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किये जाने का कारण प्रविवादी के द्वारा वादी की पत्नी कुसुम शर्मा से प्राप्त किये गये रूपयों एवं ब्याज के रूपयों की कोई अदायगी नहीं किये जाने से एवं टालमटुल किये जाने से एवं वादी के द्वारा प्रतिवादी को प्रेषित सूचना पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत भी सूचना पत्र में वर्णित राशि की अदायगी प्रतिवादी को नहीं किये जाने और न ही सूचना पत्र का कोई जवाब दिये जाने से उत्पन्न हुआ होकर वाद अवधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

6. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध रूपये 43,500/— की वसूली, उक्त राशि पर ब्याज की वसूली हेतु निवेदन किया गया है ।

7. प्रतिवादी दिनांक 09.09.2024 को समंस की तामिल हो जाने पर भी न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है।

क.	**विवाद्यक प्रश्न**	**निष्कर्ष**

01.	क्या प्रतिवादी ने दिनांक 23.11.2021 को वादी की पत्नी स्व. कुसुम शर्मा से अपनी निजी आवश्यकता हेतु रूपये 25,000/— रूपये उधार प्राप्त किये थे तथा उक्त राशि के संबंध में वादी की पत्नी के पक्ष में प्रॉमेसरी नोट निष्पादित किया था?	**''अप्रमाणित है ''**
02.	क्या उक्त उधार राशि पर रूपये 2/— प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज देना तय हुआ था तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त राशि एवं ब्याज की अदायगी नहीं की गई, जिसके कारण वादी को प्रतिवादी से कुल रूपये 43,500/— रूपये प्राप्त होने शेष है?	**''अप्रमाणित है''**
03.	क्या वादी उक्त विवादित राशि 43,500/— रूपये (मूलधन, ब्याज एवं सूचना पत्र व्यय सहित) प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**''अप्रमाणित है''**
04.	सहायता एवं व्यय ?	**निर्णय की अंतिम कंडिका 13 अनुसार।**

<u>विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 का सकारण निष्कर्ष</u>

8. तथ्य एवं साक्ष्य की पुनार्रावृत्ति को रोकने के लिए एवं उक्त वादप्रश्नों के परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य का विश्लेषण एवं मूल्यांकन एक साथ किया जा रहा है।

9. इस संबंध में वादी दिपेश शर्मा (व.सा.—01) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह वादी के पुत्र को प्रतिवादी द्वारा निजी आवश्यकता बताकर उसकी माता कुसुम शर्मा से 25,000/—रूपये दिनांक 23.11.2021 को दो रूपये प्रतिमाह सेकड़ा से उधार लिये थे जिसके लिए उसने प्रामेसरी नोट गवाह के सामने भरकर दिया था। नवम्बर 2023 तक जब उक्त राशि अदा नहीं हुई तब

प्रतिवादी से चर्चा करने पर वह टालमटोल करने लगा। जिसके पश्चात् उसकी माता की मृत्यु हो गयी थी। फिर उसके पिता ने उक्त प्रामेसरी नोट का दावा लगाया था। दावा चलने के दौरान उसकी पिताजी की मृत्यु हो गयी है। आज दिनांक तक प्रतिवादी द्वारा उसे मूल एवं ब्याज अदा नहीं किया है। उसे प्रतिवादी से 43,500/—रूपये दिलवाये जाये। इस हेतु उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सूचना पत्र दिया गया था एवं उसके द्वारा प्रामेसरी भी प्रस्तुत किया गया है जिस पर दिनांक 23.11.2021 उल्लेखित है। इस प्रकार उस वादी को ब्याज 15,500/— एवं 500/—रूपये एक माह का अतिरिक्त ब्याज और 2500/—रूपये सूचना पत्र का व्यय भी प्रतिवादी से दिलवाया जाये। उसके द्वारा उक्त लेन—देन रतलाम शहर में होने से उक्त वादपत्र रतलाम न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

10. वादपत्र तथा न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से यह तत्थ्य स्पष्ट होता ह कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद का आधार कथित रूप से दिनांक 23.11.2021 का एक प्रॉमेसरी नोट तथा प्रतिवादी को प्रेषित मांग सूचना पत्र बताया गया है। वादी का यह कथन है कि प्रतिवादी ने उसकी पत्नी स्व. कुसुम शर्मा से निजी आवश्यकता बताकर रूपये 25,000/— की राधि उ धार प्राप्त की थी तथा उक्त राशि पर रूपये 2/— प्रति सेकड़ा प्रतिमाह की दर से ब्याज अदा करने का वचन दिया था और इसके समर्थन में प्रॉमेसरी नोट का संपादन किया गया था।

11. किन्तु न्यायालय के समक्ष विचारणीय तथ्य यह है कि वादी द्वारा उक्त प्रॉमेसरी नोट एवं मांग सूचना पत्र को केवल प्रस्तुत किया गया है, परंतु उन्हें विधि अनुसार प्रदर्शित नहीं कराया गया है। सिविल वादों में किसी भी दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने के लिए उसका विधिवत् प्रमाणित होकर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होता है। इस संबंध में Indian Evidance Act, 1872 की धारा 61 एवं 62 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी दस्तावेज की विषयवस्तु को सिद्ध करने के लिए उसका प्राथमिक साक्ष्य किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में Indian Evidance Act, 1872 की धारा 67 के अनुसार यदि किसी दस्तावेज पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने का दावा तो किया गया है, तो उस हस्ताक्षर को विधिवत् प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। केवल दस्तावेज को न्यायालय में पेश कर देना पर्याप्त नहीं माना जाता, जब तक कि उसे विधिसम्मत्

प्रमाण प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप उक्त प्रॉमेसरी नोट की साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना संभव नहीं है।

12. इसी प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी को भेजे गये मांग सूचना पत्र का भी उल्लेख किया गया है, किन्तु उक्त सूचना पत्र को भी न्यायालय में प्रदर्शित नहीं कराया गया है और न ही उसकी सेवा के संबंध में कोई विधिसम्मत् साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त सूचना पत्र को भी विधिक दृष्टि से प्रमाणित दस्तावेज नहीं माना जा सकता। सिविल प्रकरण में यह स्थापित सिद्धांत है कि वाद सिद्ध करने का भार वादी पर ही होता है, जिसका प्रावधान Indian Evidance Act, 1872 की धारा 101 में किया गया है, जब वादी अपने वाद के आधारभूत दस्तावेजों को ही विधिसम्मत रूप से सिद्ध नहीं कर पाता, तब उसके कथनों को मात्र मौखिक कथन के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः समस्त परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों में प्रस्तुत परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत मुख्य दस्तावेजों प्रॉमेसरी नोट एवं मांग सूचना पत्र को विधिवत् प्रदर्शित एवं प्रमाणित नहीं किया गया है। फलस्वरूप वादी अपने दावे को विधिसम्मत् साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित करने में असफल रहा है। इस प्रकार न्यायालय के मत में वादी का वाद पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं होता है। अतः बिन्दु क्रमांक 1 लगायत 3 का निष्कर्ष ''अप्रमाणित'' के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

—:वादप्रश्न क्रमांक 4:—

—:सहायता एवं वाद व्ययः—

13. उपरोक्त वाद प्रश्नों की विवेचना के अनुसार संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः वाद पत्र **अस्वीकार** किया जाता है—

01. वादपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

02. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादी अपना एवं प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

03. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा म.प्र. सिविल न्यायालय नियम 1961 के नियम 523—535 अनुसार जो भी कम हो,

देय हो। तदानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

स्थान—रतलाम

दिनांक—06.03.2026

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

//सही//

(आकांक्षा श्रीवास्तव)
पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ
खंड रतलाम म.प्र.

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

//सही//

(आकांक्षा श्रीवास्तव)
पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ
खंड रतलाम म.प्र.